



चिंता से मुक्ति

राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
IIIrd Floor, RSIC wing, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
दूरभाष-0141-2385887 फ़ैक्स-0141-2385778
E-Mail.: smc-rai@esic.nic.in
Website- www.esicrajasthan.com
(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)



क्रमांक: 15/यू/ SST(ESIC Staff)/एसएमसी/2010

दिनांक: 01.06.2011

All Tie up Hospitals,
As per list enclosed.

विषय:-कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेंशनरों को आपातकालीन (emergency) स्थिति में आपके अस्पताल/ डायग्नोस्टिक सेन्टर में राशि रहित (Cash less) अति विशिष्ट उपचार (Super Specialty Treatment) उपलब्ध करवाने बाबत।
महोदय,

उपर्युक्त विषय में निगम मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या: D-12/16/1/03-E VI दिनांक 1.11.2010 की फोटो प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि पत्र के बिन्दु सं. 7 के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेंशनरों को आपातकालीन (emergency) स्थिति में सीधे ही आपके अस्पताल में उपस्थित होने की स्थिति में उन्हें भी आपके अस्पताल/डायग्नोस्टिक सेन्टर से टाई अप की गई Speciality के संबंध में अति विशिष्ट उपचार (Super Speciality Treatment) राशि रहित (Cash less) मेडिकल कार्ड/अन्य आवश्यक दस्तावेज देखकर सुविधा उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

आपातकालीन स्थिति भर्ती हुए कराबी निगम पेंशनरों के बिल (यदि पेंशनर्स एसिक मॉडल चिकित्सालय, जयपुर या कराबी निगम अस्पताल, भिवाडी का हो तो उन्हें ही बिल भेजें) अन्यथा सीधे ही राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, जयपुर को उपर्युक्त वर्णित पत्र पर बीमितों के बिलों की तरह ही ईलाज के तुरन्त बाद दो प्रतियों में भेजें।

आपातकालीन स्थिति में भर्ती होने पर उसकी सूचना कार्ड जारी करने वाले अधिकारी व राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय को तुरन्त फ़ैक्स/दूरभाष पर ही जावे।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

(वी. के. गोयल)
उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय निदेशक, कराबी निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया राजस्थान क्षेत्र के संबंधित पेंशनरों को मेडिकल कार्ड उपलब्ध करवाने का श्रम करें एवं साथ ही सभी पेंशनर्स को अपने स्तर पर सूचित करें व उक्त सूचना राजस्थान की वेबसाईट www.esicrajasthan.com पर उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
2. चिकित्सा अधीक्षक, एसिक मॉडल अस्पताल, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया आपके अस्पताल से संबंधित पेंशनरों को मेडिकल कार्ड जारी करने का श्रम करें।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कराबी निगम अस्पताल, भिवाडी इस अनुरोध के साथ कि कृपया आपके अस्पताल से संबंधित पेंशनरों को मेडिकल कार्ड जारी करने का श्रम करें।
4. क्षेत्रीय निदेशक (प्रशासन), कराबी निगम, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही व इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना निगम के राजस्थान क्षेत्र की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), प्रभागीय कार्यालय, कराबी निगम, जोधपुर को सूचनार्थ।
7. श्री घनश्यामदास, सचिव, एसिक पेंशनर्स एसोसियेशन, राज. क्षेत्र, जयपुर।
8. सुरक्षा पंजिका
9. सूचना पट्ट।

उप निदेशक (प्रशासन)